जालोर एसपी-तत्कालीन थानाधिकारी सहित छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायाधीश ने पेश किया इस्तगासा

बाल अपचारी को मुकदमे में झूठा फंसाने व तीन व्यक्तियों को बिना अपराध के हवालात में बंद रखने पर दर्ज हुआ इस्तगासा

जालोर, (कासं)। विशिष्ट न्यायाधीश अजा - अजजा न्यायालय जालोर पीयूष चौधरी ने एक बाल अपचारी को मुकदमे में झुठा फंसाने व तीन व्यक्तियों को बिना किसी अपराध के हवालात में बंद रखने पर एएसआई बद्रीदान चारण, नरेन्द्र कुमार व शशिकला , पुलिस कर्मी उम्मेदाराम व दिनेश कुमार, जालोर कोतवाली के तत्कालीन थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह के खिलाफ एक लोक सेवक होने के नाते मिथ्या साक्ष्य गढने, मिथ्या साक्ष्य देना, कूटरचना करना तथा किये गये अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना का जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के खिलाफ इस्तागासा सीजेएम जालोर के समक्ष पेश किया गया।

न्यायाधीष पीयुष चौधरी ने सीजेएम में इस्तागासा पेश कर बताया कि 2 दिसम्बर 2021 को किशोर बोर्ड की न्यायाधीश अवकाश पर होने से लिंक अधिकारी के नाते सीजेएम जालोर के पद पर रहते हुए सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया गया। उस दौरान एक बाल अपचारी ने बताया कि उसे चोरी के मामले में गिरफतार किया गया है तथा उससे चोरी की मोटरसाईकिल भी बरामद कर दी है। उसी रोज कोतवाली के एएसआई बद्रीदान चारण ने चोरी की उक्त मोटरसाईकिल बरामद करने को लेकर प्रार्थना पत्र न्यायाधीष के समक्ष पेश किया, जो पूर्व में उक्त मोटरसाईकिल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है।

उसी रोज न्यायाधीष चौधरी ने कोतवाली थाने का निरीक्षण किया तो मोटरसाईकिल थाने में खडी थी। वही बद्रीदान ने अपने पुलिस कर्मी उम्मेदाराम व दिनेष कुमार को उक्त मोटरसाईकिल बरामद का झूठा गवाह भी बना दिया। इस प्रकार एएसआई बद्रीदान ने एएसआई शशिकला के साथ मिलकर पुलिस कर्मी उम्मेदाराम व दिनेश कुमार ने मिथ्या तथ्य गढ़ने व एक बाल अपचारी को चोरी के मामले में झूठा फंसाने का प्रयास किया। वही थाने के लॉकअप में जाकर देखा तो तीन व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में बंद थे। पूछने पर एएसआई नरेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त तीनो व्यक्तियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जबकि लॉकअप में बंद तीनो व्यक्तियों की एसडीएम जालोर के समक्ष पेश कर जमानत पर रिहा करने के बाद भी बिना किसी अपराध के उन्हे लॉकअप में अर्धनग्न अवस्था में रखा गया। उक्त बात का पता तत्कालीन थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह व डिप्टी हिम्मत चारण को होने पर दोनों न्यायाधीश के पहुंचे तथा माफी मांगते हुए आगे ध्यान रखने की बात कही। इस प्रकार इन्हे भी अपने पुलिस कर्मियों की उक्त अपराध की पूर्ण जानकारी थी। उक्त शिकायत एसपी जालोर तक पहुंचने पर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने अपने पुलिसकर्मियो को बचाने के लिए अपने हिसाब से तथ्यो को तोड मरोडकर विभागीय कार्यवाही का नाटक कर अपने हिसाब से कानून से उपर समझकर दोशी पुलिसकर्मियो को मुख्य आरोपों से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के क्लीन चीट दे दी।

उन्होने एक झूठी एवं मिथ्या रिपोर्ट बनाई जो निरीक्षण के दौरान एकदम विपरीत है। न्यायाधीश ने अपने इस्तगासा में बताया कि कोतवाली के एएसआई बद्रीदान व एएसआई शशिकला के साथ मिलकर एक बाल अपचारी को चोरी के मामले में झूंठा फंसाने व पुलिस कर्मी उम्मेदाराम व दिनेश ने फर्जी मोटरसाईकिल फर्द जब्ती बनाने तथा तत्कालीन सीआई लक्ष्मणसिंह ने मिथ्या प्रविष्टि रोजनामचा आम में की। वही एएसआई नरेन्द्र कुमार ने बिना विधिक प्रक्रिया के तीन व्यक्तियो को लॉकअप में बंद करने तथा उस दौरान डयूटी पर तैनात एएसआई धर्मेन्द्र हुडा ने तथ्य छुपाने का अपराध किया है। इसकी जानकारी एसपी को होने पर भी उन्होंने भी इस मामले में काई ठोस कार्यवाही नही की। बल्कि दोषी पुलिसकर्मियों को कठोर दण्ड से बचाने के लिए विभागीय कार्यवाही का दिखावा कर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के बिल्कुल ही विपरीत जाकर तथ्यों को अपने हिसाब से तोड मरोडकर उन्होंने झूठी व फर्जी रिपोर्ट बनाई।

इस्तगासा में कोतवाली के एएसआई बद्रीदान चारण, एएसआई नरेन्द्र, एएसआई शशिकला, एएसआई धर्मेन्द्र हुडा, तत्कालीन सीआई लक्ष्मणसिंह व पुलिस कर्मी उम्मेदाराम व दिनेश के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने को लेकर इस्तागासा सीजेएम जालोर के समक्ष पेश किया। वही किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सैंशन न्यायाधीश जालोर ने सीजेएम जालोर को उक्त प्रकरण में मामला दर्ज करने के निर्देष देने पर मामला दर्ज करवा दिया है। वही न्यायाधीश पीयूष चौधरी को भी उक्त मामले में आपराधिक परिवाद पेश करने को लेकर निर्देशित किया गया था। जिसके तहत न्यायाधीश चौधरी ने इस्तगासा पेश किया।

मन्दबुद्धि महिला की कृषि भूमि को धोखाधड़ी से हड़पने पर मामला दर्ज

भूमाफिया ने जमीन हड़पते ही बैंक से लोन भी उठा लिया

मांडलगढ़, (नि.सं.)। मांडलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के श्यामगढ़ पंचायत के टहला गाँव में एक मंदबुद्धि बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी कर करोड़ों की खेती की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। इस षड्यंत्र में भूमाफिया ओर पंजीयन विभाग के अधिकारी, कार्मिक समेत 13 लोगों के खिलाफ मांडलगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।वहीं भूमि को हड़पने वाले गिरोह ने बैंक से लोन भी उठा लिया।

मंदबुद्धि महिला माँगी देवी गुर्जर के पति कूकालाल गुर्जर ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी माँगी देवी गुर्जर असहाय ओर मंदबुद्धि की है।बुजुर्ग महिला बोल-चाल भी नहीं कर सकती है। ग्राम टहला में उसके नाम 27 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उसकी पत्नी मांगी देवी को एक रिश्तेदार की शादी में शामिल करने का झांसा देकर भू माफिया गिरोह के लोग पीड़ित महिला के एक रिश्तेदार को साथ लेकर उसे ससुराल से उठा लाए। बुजुर्ग महिला को रामलाल पिता शंकर गुर्जर,उदा पिता देवा गुर्जर,रघुनाथ पिता देवा गुर्जर,नंदा पिता देवा गुर्जर,हीरालाल पिता छोगा लाल गुर्जर,शंकर पिता होकमा गुर्जर पीड़ित महिला माँगी देवी को मांडलगढ़ लेकर आए। उक्त गिरोह ने माँगी देवी की कृषि भूमि के विक्रय दस्तावेज तैयार कराए।

गिरोह के सदस्यों ने मांडलगढ़ तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा, गिरदावर योगेश कुमार,पटवारी दिनेश कुमार व स्टाम्प प्रलेखक श्यामसुंदर से मिलीभगत कर 31जून 2022 को पंजीयन कार्यालय से रजिस्ट्री गिरोह के लोगों ने अपने नाम करा ली। जबकि नियम के मुताबिक मंदबुद्धि सम्पति विक्रेता की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है या मन्दबुद्धि के साथ पारिवारिक सदस्य का साथ होना जरूरी होता है क।

पीड़ित कुकालाल व पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

- तहसीलदार, गिरदावर,पटवारी, स्टाम्प प्रलेखक समेत 13 जनों पर दर्ज हुआ मामला

उक्त भूमि में पीड़ित महिला के अलग अलग खाते में कृषि भूमि दर्ज होने से 4 रजिस्ट्रियां कराई गई।भूमि विक्रय की सभी रजिस्ट्री में गवाह के रूप में रामचन्द्र पिता जोधा गुर्जर व लादूलाल पिता रघुनाथ ने हस्ताक्षर किए।गौरतलब हैं कि गवाह रामचन्द्र गुर्जर पूर्व में भी एक चारागाह के भूखण्डों की रजिस्ट्री में भी शामिल रहा है।

उक्त भूमि की रजिस्ट्री के बाद गिरदावर व पटवारी ने निर्धारित अवधि से पूर्व तत्काल राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण भी दर्ज कर दिया।जबकि पँचायत की ग्राम सभा मे नामान्तरण अनुमोदन होना आवश्यक हैं। करोड़ो की हड़पी गई जमीन पर माफिया गिरोह ने एक लाडपुरा स्थित एक बैंक से लोन भी स्वीकृत करा लिया हैं।

सुरजीत सिंह थाना प्रभारी, मांडलगढ़ ने बताया कि टहला निवासी बुजुर्ग महिला मांगी देवी के पति कुकालाल की शिकायत पर 13 लोगों के ख़िलाफ़ भादंसं की धारा 406-420-384-467 व 468 में मुकदमा दर्ज कर अनुसन्धान किया जा रहा है।

महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामुहिक गिरफ्तारियां दीं।

राजसमंद, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस के आव्हान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में देश में बढ ती महंगाई, खाद्य पदार्थ पर जीएसटी, बढ ती बेरोजगारी के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों को लेकर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड एवं पूर्व जिलाध्यक्ष देवकींनदन गुर्जर के नेतृत्व में करीब 16० से अधिक कार्यकर्ताओं ने सामुहिक गिरफ्तारियां दी। पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को तीन बसों में बिठाकर रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में छोडा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड ने कहा कि केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार द्वारा लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है यहा तक की जनता की मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर भी रोक लगाई जा रही है जो कि पूर्णतया असंवैधानिक और तानाशाही हुकूमत का प्रतीक है।

10 बदमाशों पर धौलपुर एसपी ने किया इनाम घोषित

धौलपुर, (निसं.)। शुक्रवार को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के 10 बदमाशों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा इनामी बदमाशों की सूची में 10 नए बदमाशों को जोड़ने के बाद जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या 62 पहुंच गई है। जिनमें से दो डकैत राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल है। एसपी सिंह ने बसई डांग थाना क्षेत्र के रहने वाले रामगोपाल पुत्र सुंदर गुर्जर पर 5 हजार रूपए, रामराज पुत्र दामोदर निवासी बसई डांग पर एक हजार रूपए और सुरेंद्र पुत्र सोने राम निवासी बसई डांग पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इनके अलावा बसेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले केशव सुपुत्र सोनेराम, धीरा पुत्र केदार, भूरी पुत्र केशव, बंटी पुत्र केदार, दशरथ पुत्र निर्भय, बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के भूमि पुत्र रामनाथ और भरतपुर के गढ़ी बाजना क्षेत्र के बदमाश समुद्र पुत्र निर्भय गुर्जर पर 500-500 रुपए के इनाम घोषित किए हैं। धौलपुर जिले के 10 नए इनामी बदमाशों में रामगोपाल पुत्र सुंदर गुर्जर पर करौली जिले से भी 3 हजार रुपए का इनाम घोषित है।

- 2 बदमाश टॉप 5 की सूची में शामिल
- जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या हुई 62

धौलपुर के 2 बदमाश प्रदेश के टॉप फाइव में शामिल: राजस्थान की टॉप 5 बदमाशों की सूची में धौलपुर के दो बदमाश शामिल हैं। जिनमें धौलपुर के डकैत केशव गुर्जर और उसके भाई शीशराम गुर्जर राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों की सूची में चौथे और पांचवें नंबर पर शामिल है। जिनकी तलाश के लिए एसपी द्वारा गठित की गई टीम डांग क्षेत्र में लगातार दबिश दे रही है।

ग्राम विकास अधिकारियों ने किया पूर्णतः कार्य बहिष्कार

भुसावर, (निसं.)। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा भुसावर के सदस्यों द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही नही कर सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने के विरोध में चलाये जा रहे अभियान के तहत आगामी आदेशों तक पूर्णतः कलम बन्द असहयोग आन्दोलन के साथ सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। जहां ग्राम विकास अधिकारियों ने कलम एवं रिकॉर्ड की चाबी को एक कलश में रखकर अधिकारी को सौंप दिया।

ग्राम विकास अधिकारी एवं संघ के जिला प्रतिनिधि संजय मीणा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार उपशाखा भुसावर द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा की गई वायदा खिलाफी के लिए अभियान चलाकर सोयी हुई सरकार को जगाने का कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत संगठन के आगामी आदेशों तक संविधान की शपथ लेते हुए राजकीय कार्यो में पूर्णतः असहयोग करते हुए प्रदत्त दायित्वों का किसी भी प्रकार का निर्वहन नही करने का संकल्प लिया। जन्म मृत्यु पंजीयन से लेकर भुगतान आदि तक का कोई कार्य निष्पादित नही करने की बात कही। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों ने कलम और रिकॉर्ड की चाबियों को अधिकारी को सुपुर्द कर प्रदेश नेतृत्व के आगामी निर्देशों तक वापिस नही लेने की बात कही है। उन्होने बताया कि समझौता लागू नहीं कर हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है।

'बाबा विजयदास की मृत्यु पर गंदी राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण'

भरतपुर, (निस)। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विष्वेन्द्र सिंह ने पसोपा में संत विजयदास महाराज की आत्मदाह के मामले में भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि भाजपा संत की आत्मदाह के मामले में राजनीति कर रही है।

कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्त सभागार में पूर्व सासंद पण्डित रामकिषन, सम्भागीय आयुक्त साँवरमल वर्मा, भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह षेखावत पर निषाना साधते हुए कहा कि मानेसर घटनाक्रम में मेरा व उनका कोई संवाद नहीं हुआ जिसके लिए मैं वॉयस सेम्पल देने के लिए तैयार हूं लेकिन गजेन्द्र सिंह षेखावत वॉयस सेम्पल देने से क्यों डर रहे है।

चार बार उनको सेम्पल देने के लिए बुलाया गया था लेकिन वह देना नहीं चाहते है। उन्होनें कहा कि भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष सतीष पूनिया का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पूनिया को याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे भी 70 साल की आयु पार कर चुके है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ. शैलेश सिंह पर भी प्रहार करते हुए हिदायत दी कि अपने सोषल मीडिया पर संयम बरते। उन्होंने कहा कि वे अभी राजनीति में बच्चे हैं। खरा सिक्का बनने के लिए अच्छे प्रयास करें। उन्होंने कहा कि डॉ. षैलेश सिह के पिता डॉ. दिगम्बर सिंह व राजेन्द्र राठौड़ से उनकी राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता रही है। लेकिन उनके बीच में कभी भी अष्लील टिप्पणी व अषोभनीय बयानबाजी नहीं हुई। भाजपा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को 550 दिन बाद संतो के आंदोलन की याद आई। इतने दिन भाजपा के नेता कहां सो रहे थे। वहां पर विकास के कार्य कराए जा रहे है और संतों की बात को सरकार ने माना है वहां से क्रेषर मषीनों को हटाया जा रहा है और उस क्षेत्र को वन्य क्षेत्र घोशित कर दिया है। पसोपा कोई चारागाह जगह नहीं है जहां पर कोई भी कुछ कह कर चला जायेगा। यहां की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। यह मेरी अपील है कि यहां पर कोई भडकाऊ भाशण ना दे। आगे अगर ऐसा किया तो यहां की जनता उनको उचित पुरूस्कार भी देगी।

भरतपुर में मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया।

राजस्थान के 13 जिले पानी के लिए तरस रहे है। प्रदेष से 25 सांसद केन्द्र में हैं। जिसमें गजेन्द्र सिंह षेखावत स्वयं जल संसाधन मंत्री भी है। इसके बावजूद भी ईआरसीपी परियोजना में केन्द्र के द्वारा मंजूरी के प्रयास नहीं कराए जा रहे।

इस अवसर पर पं. रामकिशन ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को भरतपुर जिले के लिये बहुत महत्वपूर्ण बताया तथा यमुना जल बंटवारे के सम्बंध में पूर्व में हुये अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार परियोजना का दूसरा फेज पूर्ण करवाने की मांग की जिससे जिले के किसान लाभान्वित हो। प्रेस वार्ता में सम्भागीय आयुक्त साँवरमल वर्मा, भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी उपस्थित रहे।

गैस सिलेण्डर रिफलिंग पर कार्रवाई की

कोटा, (निसं)। अवैध रूप से गैस सिलेण्डर के संग्रहण एवं रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर रसद विभाग की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर जांच कर 20 घरेलू एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर जब्त किया गया। संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्व कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया है। जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अदिति जगरवाल एवं कृष्ण कुमार यादव को मय पुलिस थाना महावीर नगर अवैध गैस सिलेण्डर संग्रहण एवं अवैध रिफलिंग की शिकायत की जांच करने के लिए महावीर नगर विस्तार योजना स्थित मकान न. 4-एल-40 पर भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मौके पर मकान मालिक प्रदीप कुमार गोयल पुत्र राधेश्याम गोयल, अभिषेक गोयल पुत्र प्रदीप गोयल उपस्थित पाये गये।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा के विशिष्ठ न्यायाधीश राकेश कटारा ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने एफआईआर के तत्थों के अनुसार प्रेमलाल बाहेती श्रम निरीक्षक व हीरालाल कनिष्ठ लिपिक को 3 जून 2010 को परिवादी पांसल रोड़ जवाहर नगर निवासी गौरीशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण भांबी से 700 रुपये की रिश्वत मांग और रिश्वत लेते ट्रैप किया गया।

इस दौरान बाहेती के निजी आवास, बैंक लॉकर नंबर 235 राजस्थान बैंक शाखा महिला आश्रम की ट्रैप पार्टी ने खाना तलाशी ली थी। मकान से संबंधित कागजात, वेतन भत्तों, बैंकों, एलआईसी, एफडी, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्ट ऑफिस आदि से सूचना प्राप्त की गई। जांच में आरोपितों द्वारा अपने सेवा काल में पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग अवैध एवं भ्रष्ट तरीके से ज्ञात स्त्रोतों से 50 लाख 52 हजार 522 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाया गया था। विशिष्ठ लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में आरोपित कर्मचारियों की अग्रिम जमानत के प्रार्थना-पत्र को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज खारिज कर दिया।

- आय से अधिक संपत्ति का मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश कटारा ने दिए निर्देश

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में मिले स्थान : दीयाकुमारी

राजसमन्द, (कासं)। लोकसभा के मानसून सत्र में राजसमन्द सांसद दीयाकुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने हेतु संविधान संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया।

सदन में प्राइवेट बिल पेश करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र के इतिहास संस्कृति जनता शासन प्रणाली पारिस्थितिकी राजनीति आदि की सूचक है। राजस्थानी पश्चिमी इंडो-आर्यन मूल की एक भाषा है जो पूरे राजस्थान के साथ ही हरियाणा गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में व्यापक रूप से बोली जाती है। राजस्थानी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह 1500 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत है। राजस्थानी भाषा में 7 वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिकों खगोलविदों गणितज्ञों कवियों और लेखकों के कार्यों की भी पहचान की गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है।

लोकसभा के मानसून सत्र में राजस्थानी भाषा की पैरवी करती सांसद दीयाकुमारी।

सांसद दीयाकुमारी ने संविधान संशोधन बिल पेश करने के पुख्ता कारणों और उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा की उपस्थिति विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे संगीत कला नृत्य और नाटक में भी देखी जा सकती है। राजस्थानी भाषा ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से बहुत समृद्ध होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर घोर उपेक्षा की शिकार है। अंततः इससे भाषा के अपने अस्तित्व को खोने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं की योजना में अब तक राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इस भाषा में दक्ष विद्यार्थी कुशलता से इसका प्रयोग करने में असमर्थ हैं। राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे।

सांसद ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग आमजन द्वारा लगातार की जाती रही है। साहित्य अकादमी और विवि अनुदान आयोग राजस्थानी भाषा को एक अलग भाषा के रूप में मान्यता देते हैं। राजस्थानी भाषा राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पढाई जाती है। फिर भी, राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है।

अधेड़ आधी रात को टॉवर पर चढ़ा

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती काली बेरी से आगे ढंडियों की ढाणी में आधी रात को एक अधेड़ टॉवर पर चढ़ गया। वह नशे में भी था। उसकी मांग थी कि क्षेत्र में टूटी सडक़ों को ठीक किया जाए। कई बार प्रशासन को अवगत कराया मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर उसके टॉवर पर चढऩे की जानकारी पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। रात दो बजे के आस पास उसे सकुशल टॉवर से उतार दिया गया।

एसीपी पश्चिम चक्रतवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त में सूचना आई कि काली बेरी के नजदीक ढंडियों की ढाणी में एक व्यक्ति मोबाइल टॉवर पर चढ़ा हुआ है। इस पर वे वहां पहुंचे। इससे पहले वहां पर प्रतापनगर एसीपी प्रेम धणदे भी आ गई थी। टॉवर पर चढ़े हरचंद नाम के इस शख्स को समझाने का प्रयास किया गया। मगर वह नहीं माना तो पुलिस ने एसडीआएफ मय दमकल को बुलाया। दमकल की सीढ़ियों से बाद में उसे समझाबुझाकर उतारा जा सका।

पांचना बांध के पानी छोड़ने को लेकर बन रही टकराव के हालात

हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को पांचना के कमांड क्षेत्र में पानी छोड़ने के दिए थे निर्देश

करौली, (निसं.)। करौली के पांचना बांध के पानी को नहरो में छोड़ने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आपत्तियों का दौर शुरू हुआ है। गत दिन गुडला पांचना संघर्ष समिति ने आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया तो वहीं अब मांड क्षेत्र के लोगों ने गंगापुर सिटी विधायक के नेतृत्व में करौली पहुंचकर पांचना का पानी नहरों में छोड़ने की मांग करते हुए विरोध करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने की बात कही है।

गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरगोविंद कटारिया, अब्दुल वहाब खान,फुलवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच कैलाश, खण्डीप सरपंच किरोड़ी, मेडी सरपंच हरिलाल, बगलाई सरपंच अमर सिंह, रामपुर सरपंच देवी सिंह गुर्जर,श्यारौली सरपंच तेज सिंह,बड़ौदा सरपंच प्रेम सिंह,पूर्व सरपंच रामहेत,राजेंद्र नेता फूलवाड़ा,वजीरपुर सरपंच मुकेश बैरवा, मोहचा सरपंच भरत लाल, जीवली सरपंच पंखी लाल मीणा सहित 50 से अधिक लोगों ने करौली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस को पांचना बांध के पानी को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 8 जुलाई द्वारा पांचना बांध सिंचाई परियोजना से कमांड एरिया में पानी छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं।

कमांड/ अनकमांड क्षेत्र के किसानों से अपनी मांग एवं आपत्तियां जिला कलेक्टर के माध्यम से मांगी गई है इस संबंध में हमारी मांगे की पांचना बांध का पानी जो कि वर्ष 2006 से सरकार की घोर लापरवाही के कारण पानी रुका हुआ है वह तत्काल कमांड क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध करवाया जाए साथ ही वर्ष 2006 से वर्ष 2022 तक बांध का पानी रोकने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही कमांड क्षेत्र के प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। उन्होंने बताया कि पांचना बांध के पानी को लेकर लोगों में वैमनस्यता बढ़ रही है और टकराव की स्थिति है इसे रोका जाए उन्होंने कहा कि पांचना बांध का निर्माण क्षेत्र तहसील वजीरपुर, गंगापुर, बामनवास, नादौती, तालावड़ा आदि को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था परंतु राजनैतिक रुप से कमजोर पैरवी के कारण आज दिनांक तक इन क्षेत्रों को पेयजल एवं सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। पांचना बांध की क्षमता मात्र 2150 एमसीएफटी है जिससे कमांड क्षेत्र की मात्र 10 हजार हेक्टेयर जमीन ही सिंचित हो पाती है इन तहसील की शेष भूमि अनउपजाऊ एवं बंजर पड़ी हुई है।

ऐसी स्थिति में चंबल से पानी लिफ्ट करके पांचना बांध में डाला जाए ताकि कमांड क्षेत्र और आसपास के लोगों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके जो लोग पिछले 16 वर्षों से बांध के पानी को रोके हुए हैं उनके विरुद्ध सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करें।